(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– **572 / 2021**

1. होशियार सिंह पुत्र कुशाला जाति जाट निवासी ढाणा तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

.... **प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
3. बैजुराम पुत्र रामजीलाल
4. वेदकौर पुत्री रामजीलाल
5. रणधीर पुत्र रामजीलाल
6. सुशीला पुत्री रामजीलाल
7. बनवारीलाल पुत्र चुन्नीलाल
8. मणि देवी पत्नी चुन्नीलाल
9. रोहताश पुत्र चुन्नीलाल
10. विधाधर पुत्र चुन्नीलाल
11. सुभाष चन्द्र पुत्र चुन्नीलाल
12. अनची देवी पुत्री गणपत
13. छाजूराम पुत्र भगवाना
14. जयवीर पुत्र बुधराम
15. बजरंग पुत्र भगवाना
16. भेजी देवी पुत्री गणपत
17. मुकेश कुमार पुत्र बुधराम
18. मायाकौर पुत्री पाला
19. रूकमा देवी पत्नी पाला
20. रणधीर पुत्र भगवाना
21. रविन्द्र पुत्र बुधराम
22. राजेन्द्र पुत्र पाला
23. रामरति पुत्री गणपत
24. रोशन पुत्र बुधराम
25. लक्ष्मी देवी पुत्री गणपत
26. विक्रमसिंह पुत्र लीला

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उनवानी

27. शकुन्तला देवी पत्नी सुभाष चंद्र
28. सुनीता देवी पुत्री पाला
29. सुदेश पुत्र सुभाष चन्द्र
30. सुनील पुत्र सुभाष चन्द्र
31. सुमित्रा देवी पुत्री पाला
32. सरोज देवी पत्नी बुधराम
33. सविता देवी पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
34. बनारसी देवी पुत्री रामचन्द्र
35. बसन्ती देवी पुत्री रामचन्द्र
36. बहादुरमल पुत्र रामचन्द्र
37. बिमला देवी पुत्री रामचन्द्र
38. मेदा देवी पुत्री रामचन्द्र
39. महावीर पुत्र दुलाराम
40. महावीर प्रसाद पुत्र दुलीचन्द्र
41. राजकुमार पुत्र रामचन्द्र
42. रामजीलाल पुत्र दुलाराम
43. रामजीलाल पुत्र दुलीचन्द्र
44. लीलाराम पुत्र दुलाराम
45. श्योपाल पुत्र दुलाराम
46. शीशराम पुत्र दुलाराम
47. सारा देवी पुत्री रामचन्द्र
48. हेमराज पुत्र रामचन्द्र समस्त जाती माली निवासी ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
49. मंदिर श्री ठाकुरजी जानकी वल्लभ जी बाके सीकर

.......................**अप्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र

धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 03.09.2024

(1). प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्पत 2075 से 2078 के खाता संख्या 250 के ख0 न0 1076 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 1470 रकबा 0.72 है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है0, भूमि का आवेदक खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि आवेदक ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0 न0 1076 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 1470 रकबा 0.72 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है0, भूमि का सीमाज्ञान नपती दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 को हल्का पटवारी के द्वारा सभी पडोसी खेतो के खातेदार कब्जाधारी काश्तकारों की सहमति से उनकी उपस्थिति सीमाज्ञान करवाया था उसी समय हल्का पटवारी ने आवेदक के खेत कही सीमा भी बताई थी तथा उसी अनुसार आवेदक के खेत की सीमा को कायम नही रहने देते है एवं आवेदक के खेत की मेड को तोड़कर अपने खातेदारी कब्जे शुदा खेत में मिला कर कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। खातेदार श्योबाई देवी पत्नी गणपत व भागली देवी पत्नी रामचन्द्र का देहान्त हो गया है उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

3. यह कि आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0 न0 1076 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 1470 रकबा 0.72 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है0, भूमि का हल्का पटवारी सिंघाना की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 के अनुसार अपनी कृषि भूमि की पत्थर गढी करवाने का अधिकारी है। आवेदक ने दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 को हल्का पटवारी से अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थर गढी करने को कहा तो हल्का पटवारी ने पत्थर गढी करने से इन्कार कर दिया इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोश चाहा है कि –

(क). कि वाके ग्राम ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्पत 2075 से 2078 के खाता संख्या 250 के ख0 न0 1076 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 1470 रकबा 0.72 है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है0, आवेदक की भूमि की पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता मेड पर पत्थर गढवाने के आदेश पारित किया जाकर पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जावे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 2, 13, 15, 20 की ओर से श्री महावीर प्रसाद एड. की ओर से U/T ली गई जवाब/ वकालतनामा पेश नही हुआ। व प्रतिवादी संख्या 49 की ओर से श्री नरेश भारद्वाज एड. की ओर से U/T ली गई व वकालतनामा पेश किया गया जवाब पेश नही हुआ। सभी अप्रार्थीगण की सम्यक् तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.08.2024 को अमल में लाई गई।

(3). प्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल आंशिक नक्शा ट्रेस, नकल छाया प्रति प्रपोजल, नकल नक्शा सीट, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.06.2015 व दिनांक 28.06.2018 को तहसीलदार बुहाना के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि सीमा का कोई विवाद नही है। केवल सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करानी है। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्पत 2075 से 2078 के खाता संख्या 250 के ख0 न0 1076 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 1470 रकबा 0.72 है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है0, का सीमाचिन्ह यथा पत्थरगढी कायम कराए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना